

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

64/2019


तारीखरजु:- 1.9.19

उनवान:- इन्द्राज बनाम पपैया वगै०

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग रथाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

फर्द अहकाम


19 वादी की ओर से श्री रामभरोरी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग, धोषणा रथाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 7.8.19 को पेश हो।


उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

2368-70
1-9-19

19.7.19

वादी वकील की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से मुकदमा भागे नहीं चलने पर पत्रावली तलब की गई। वादी द्वारा मुकदमा बर्खास्त करने हेतु Not Press करने से यह दावा Not-Press में बर्खास्त किया जाता है। पत्रावली फेहल नुमार होकर नगर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

इन्द्राज